कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

संख्या 113 /सी0आर0ए0/2025–26 दिनांक 24 नवम्बर, 2025

तहसीलदार,
सदर देहरादून।

विषय :– प्रबन्धक, एचडीएफसी अरगो जीआईसी लि0 के विरूद्ध वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक श्रीमती सुप्रिया नौटियाल पत्नी स्व0 श्री प्रदीप रतूड़ी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 15.11.2025 इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रार्थिनी के पति श्री प्रदीप रतूड़ी द्वारा वाहन क्रय किये जाने हेतु प्रबन्धक, एचडीएफसी अरगो जीआईसी लि0 से मु0 8,11,709/– का लोन लिया गया था। सम्बंधित बैंक के कर्मचारी द्वारा बताया गया कि लोन के पश्चात् बीमा एक अनिवार्य प्रकिया है, जो आईआरडीए के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी ऋण को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है तथा एचडीएफसी अरगो जीआईसी लि0 से पॉलिसी संख्या CI24-14680891 और सर्व सुरक्षा प्लस क्लेम नं0 RR-CI24-14680891 के माध्यम से बीमा कराया गया। बीमा सम्बंधी दस्तावेज प्रार्थीगणों को कभी भी डाक या कुरियर के माध्यम से भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं कराये गये। प्रार्थिनी के पति की मृत्यु के पश्चात् प्रार्थिनी द्वारा बैंक से प्रार्थिनी के पति द्वारा लिए गये लोन मु0 8,11,709/–को चुकाने हेतु प्रार्थिनी पर दबाव बनाया जा रहा है तथा लोन न चुकाने की स्थिति में वाहन को उठा लेने की धमकी दी जा रही है, जिसके कम में प्रार्थिनी द्वारा सम्बंधित इंश्योरेंस कम्पनी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः प्रार्थिनी के पत्र की प्रति मय् संलग्नको सहित इस इस आशय के साथ प्रेषित है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में श्रीमती सुप्रिया नौटियाल पत्नी स्व0 श्री प्रदीप रतूड़ी की पॉलिसी संख्या CI24-14680891 और सर्व सुरक्षा प्लस क्लेम नं0 RR-CI24-14680891 से मु0 8,11,709/– (रू0 आठ लाख ग्यारह हजार सात सौ नौ मात्र) की वसूली एचडीएफसी अरगो जीआईसी लि0, 3 फ्लोर, एनसीआर डेवलपर्स, 24ए, न्यू कैन्टोनमेंट रोड, विजय कॉलोनी, शक्ति कॉलोनी, देहरादून से भू–राजस्व की बकाया की भॉति करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोपरि।

प्रभारी अधिकारी, संग्रह
कृते जिलाधिकारी,
देहरादून।

प्रतिलिपिः– 1–जिलाधिकारी देहरादून महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2–श्रीमती सुप्रिया नौटियाल पत्नी स्व0 श्री प्रदीप रतूड़ी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी, संग्रह
कृते जिलाधिकारी,
देहरादून।